वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग—4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता, अ.उ.दा. (निर्माण) संभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित, बिलासपुर द्वारा वनमण्डल रायगढ़ अंतर्गत 132/33 के.व्ही उपकेन्द्र कोड़ातराई से एन.टी. पी.सी. ग्राम जुर्डा तक प्रस्तावित 132 के.व्ही.डी.सी.डी.एस. विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण कार्य हेतु आरक्षित वन भूमि रकबा 2.190 हे. एवं राजस्व वन भूमि रकबा 7.399 हे. कुल रकबा 9.589 हे. वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त के अनुशंसा से सहमत होते हुए रकबा 9.589 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांकः 03/02/2021
स्थानः अरण्य भवन, नवा रायपुर

(राकेश चतुर्वेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं
वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़

(राकेश चतुर्वेदी)
भा.व.से.
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, अटल नगर, रायपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्रमांक/भू–प्रबंध/विद्युत/479–176/288 रायपुर, दिनांक 03/02/2021

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय महानदी भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर

विषयः– **Diversion of forest land for non forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for construction work of 132 KV DCDS line to provide supply from 132/33 KV SS Kondatari to M/s NTPC Ltd. Area – 9.589 ha. regarding**
– **पंजीयन क्रमांक– FP/CG/TRANS/ 39462/2019**

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक/ 37 दिनांक 15.01.2021

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा 132/33 के.व्ही उपकेन्द्र कोड़ातराई से एन.टी.पी.सी. ग्राम जुर्डा तक प्रस्तावित 132 के.व्ही.डी.सी.डी.एस. विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर द्वारा निर्धारित भाग–3 में अनुशंसा उपरांत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

कार्यालय नोड़ल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का 44 बिन्दु चेकलिस्ट अनुसार क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार हैः–

बिन्दु क्रमांक –1 आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 01 से 04 तक) – कार्यपालन अभियंता, अ.उ.दा. (निर्माण) संभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित, बिलासपुर द्वारा रायगढ़ वनमण्डल अंतर्गत 132/33 के.व्ही उपकेन्द्र कोड़ातराई से एन.टी.पी.सी. ग्राम जुर्डा तक प्रस्तावित 132 के.व्ही.डी.सी.डी.एस. विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण कार्य हेतु आरक्षित वन भूमि रकबा 2.190 हे. एवं राजस्व वन भूमि रकबा 7.399 हे. कुल रकबा 9.589 हे. के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग हेतु मांग किया गया है।

बिन्दु क्रमांक –2 प्रपत्र– I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 7 से 14 तक) – आवेदक विभाग के मांग अनुसार प्रकरण का ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक – **FP/CG/TRANS/ 39462/2019** दिनांक 21.06.2019 को आबंटित किया गया है। प्रपत्र–1 में रजिस्ट्रेशन क्रमांक दर्ज किया गया है।

बिन्दु क्रमांक –3 वनक्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 15 एवं 19) – रायगढ़ जिले के रायगढ़ वन मंडल अंतर्गत 132/33 के.व्ही उपकेन्द्र कोड़ातराई से एन.टी.पी.सी. ग्राम जुर्डा तक प्रस्तावित 132 के.व्ही.डी.सी.डी.एस. विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण कार्य हेतु रायगढ़ वन मंडल अंतर्गत आरक्षित वन भूमि रकबा 2.190 हे. एवं राजस्व वन भूमि रकबा 7.399 हे. कुल रकबा 9.589 हे. (कुल लंबाई 3.551 कि.मी.) वन भूमि व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है।

बिन्दु क्रमांक –4 गैर वनक्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 18) – वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित इस प्रकरण में 56.591 हे. गैर वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है।

बिन्दु क्रमांक –5 प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 19 में दर्शित है) – प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया की मूल टोपोशीट क्रमांक 64 ओ/ 1; 1:50,000 स्केल मानचित्र पर व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि पर ट्रांसमिशन लाईन को चिन्हित कर संलग्न किया गया है। मानचित्र वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ वन मंडल द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है।

बिन्दु क्रमांक –6 वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैंप (प्रस्ताव पृष्ठ 20 से 27 तक) – वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र /राजस्व वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैंप 1:15000 स्केल मानचित्र पर वन आवरण मानचित्रों 1:50000 में चिन्हित कर संलग्न किया गया है। वन प्रबंधन सूचना प्रणाली कार्यालय द्वारा जारी किया गया प्रबंधन नक्शा वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है।

बिन्दु क्रमांक –7 प्रपत्र –4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ 28 से 45 तक) – रायगढ़ जिले के रायगढ़ वन मंडल अंतर्गत 132/33 के.व्ही उपकेन्द्र कोड़ातराई से एन.टी.पी.सी. ग्राम जुर्डा तक प्रस्तावित 132 के.व्ही.डी.सी.डी.एस. विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण कार्य हेतु वन मंडलाधिकारी रायगढ़ वन मंडल द्वारा जारी प्रपत्र–4 प्रस्ताव में संलग्न है जिसके अनुसार प्रकरण में आरक्षित वन भूमि रकबा 2.190 हे. एवं राजस्व वन भूमि रकबा 7.399 हे. कुल रकबा 9.589 हे. (कुल लंबाई 3.551 कि.मी.) वन भूमि व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है।

बिन्दु क्रमांक –8 प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 46 से 55 तक) – रायगढ़ वन मंडल अंतर्गत 132/33 के.व्ही उपकेन्द्र कोड़ातराई से एन.टी.पी.सी. ग्राम जुर्डा तक प्रस्तावित 132 के.व्ही.डी.सी.डी.एस. विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण कार्य हेतु पारेषण लाईन निर्माण के लिए आरक्षित वन भूमि रकबा 2.190 हे. एवं राजस्व वन भूमि रकबा 7.399 हे. कुल रकबा 9.589 हे. की मांग की गई है। प्रस्ताव अनुसार परियोजना की कुल लागत 28.59 करोड़ रूपये है। परियोजना का पृथक पृथक अनुलग्नक में लागत का विवरण प्रस्ताव में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक –9 वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 56) – आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित प्रकरण में वन भूमि के बदले दुगुने वन भूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि जमा करने हेतु वचनवद्ध है, इस आशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक –10 न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 57) – रायगढ़ जिले के रायगढ़ वन मंडल अंतर्गत 132/33 के.व्ही उपकेन्द्र कोड़ातराई से एन.टी.पी.सी. ग्राम जुर्डा तक प्रस्तावित 132 के.व्ही.डी.सी.डी.एस. विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण कार्य हेतु वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि रकबा 9.589 हे. की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम है। वन भूमि की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम होने का वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक –11 पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 58 से 71) – 132/33 के.व्ही उपकेन्द्र कोड़ातराई से एन.टी.पी.सी. ग्राम जुर्डा तक प्रस्तावित 132 के.व्ही.डी.सी.डी.एस. विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण कार्य हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। अवलोकन हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राजपत्र दिनांक 14.09.2006 की अधिसूचना की प्रति संलग्न है जिसमें विद्युत पारेषण लाईन, पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा वाली सूची में दर्ज नहीं है।

बिन्दु क्रमांक –12 वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र–अ एवं ब में) (प्रस्ताव पृष्ठ 72 से 140) – 132/33 के.व्ही उपकेन्द्र कोड़ातराई से एन.टी.पी.सी. ग्राम जुर्डा तक प्रस्तावित 132 के.व्ही.डी.सी.डी.एस. विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित रकबा 9.589 हे. वन एवं राजस्व वन भूमि में विभिन्न प्रजाति के 27 मीटर कारीडोर में कुल 1319 वृक्ष विद्यमान है। प्रस्ताव में फार्म 1(a) एवं 1(b) में कुल वृक्षों की संख्या एवं आयतन का विवरण दिया गया है तथा मार्किंग बुक की छाया प्रति भी प्रस्ताव में संलग्न किया गया है। विद्युत पारेषण लाईन के नीचे 3 x 3 मीटर कारीडोर में प्रभावित / विदोहन हेतु प्रस्तावित वृक्षों की संख्या 287 है।

बिन्दु क्रमांक –13 कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 141) – प्रकरण में प्रभावित वन एवं राजस्व वन भूमि का क्षेत्रफल 20 हे. से कम होने के कारण लागू नहीं है।

बिन्दु क्रमांक –14 चयनित गैर वनक्षेत्र /निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) (प्रस्ताव पृष्ठ 142 तक) – प्रस्तावित परियोजना में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु बिगड़े वन क्षेत्र में प्रस्तावित होने के कारण आवश्यक नहीं है।

बिन्दु क्रमांक –15 गैर वनक्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 143 तक) – प्रस्तावित परियोजना में वैकल्पिक वृक्षारोपण बिगड़े वन क्षेत्र में प्रस्तावित होने के कारण आवश्यक नहीं है।

बिन्दु क्रमांक –16 स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 144 से 152) – वन संरक्षण अधिनियम के गाईड लाईन अनुसार विद्युत पारेषण लाईन हेतु दुगुने बिगड़े वनभूमि रकबा 19.178 हे. में वृक्षारोपण योजना 10 वर्षीय मय उपचार मानचित्र रिपोर्ट सहित प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।

बिन्दु क्रमांक –17 वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 153) – प्रकरण में प्रभावित वन एवं राजस्व वन भूमि के बदले रायगढ़ जिले के रायगढ़ परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 1023 ओ.ए. 1029 ओ.ए, एवं 1021 ओ.ए. में रकबा 19.178 हे. वन क्षेत्र का चयन किया गया है। वन मंडलाधिकारी रायगढ़ के प्रमाण पत्र अनुसार उक्त क्षेत्र क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

बिन्दु क्रमांक –18 अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 154) – प्रस्तावित प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया हैं। इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक –19 अधिनियम उल्लंघन के लिये जिम्मेदार अधिकारियों एंव कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 155) – प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं होने के कारण विवरण **निरंक** है।

बिन्दु क्रमांक –20 अधिकारियों एंव कर्मचारियों के विरूद्व प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 156) –प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं होने के कारण किसी भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अधिनियम उल्लंघन की प्रस्तावित कार्यवाही निरंक हैं।

बिन्दु क्रमांक –21 वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 157 एवं 159) – प्रकरण में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 1023 ओ.ए. 1029 ओ.ए, एवं 1021 ओ.ए. में रकबा 19.178 हे. में दुगुने बिगड़े वन भूमि का चयन किया गया है। अतः गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

बिन्दु क्रमांक –22 कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 160) – प्रस्तावित प्रकरण विद्युत पारेषण लाईन निर्माण से संबंधित होने के कारण केचमेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान की आवश्यकता नहीं हैं।

बिन्दु क्रमांक –23 रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 161) – प्रस्तावित प्रकरण विद्युत पारेषण लाईन निर्माण से संबंधित होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं हैं।

बिन्दु क्रमांक –24 माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 162) – प्रस्तावित प्रकरण विद्युत पारेषण लाईन निर्माण से संबंधित होने के कारण आई.बी.एम. नागपुर से माईनिंग प्लान अनुमोदित कराने की आवश्यकता नहीं हैं।

बिन्दु क्रमांक –25 व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 163) – प्रस्तावित प्रकरण विद्युत पारेषण लाईन निर्माण में प्रभावित वन एवं राजस्व वन भूमि में किसी भी प्रकार का व्यवस्थापन नहीं किया गया है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क्रमांक –26 वनाधिकारीयों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 164 से 169) – प्रस्तावित 9.589 हे. वन भूमि के लिए वनमण्डलाधिकारी रायगढ़ का प्रतिवेदन (प्रपत्र III एवं भाग 2) एवं मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का प्रतिवेदन (भाग–3) संलग्न है। निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार आवेदित वन एवं राजस्व वन भूमि का वन घनत्व 0.4 तक है तथा प्रस्तावित क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति के 1319 वृक्ष विद्यमान है। दिनांक 17.04.2020 को भौतिक निरीक्षण के आधार पर वन मंडलाधिकारी रायगढ़ ने आवेदित क्षेत्र पर गैर वानिकी प्रयोजन में देने की अनुशंसा की है। मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर ने वन मंडलाधिकारी रायगढ़ के सुझाव पर सहमति व्यक्त करते हुए तथा आवेदित वन क्षेत्र में पाये जाने वाले पक्षियों के संवर्धन हेतु योजना तैयार करने पर प्रस्ताव की अनुशंसा की है।

बिन्दु क्रमांक –27 ऐतिहासिक स्थल प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 170 से 171) – प्रस्तावित पारेषण लाईन हेतु आवेदित वन भूमि के अन्तर्गत कोई भी ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व के ईमारत/स्मारक या भवन नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक –28 संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 172 से 176) – प्रस्तावित परियोजना लीनियर प्रकरण होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के गाईड लाईन दिनांक 05.02.2013, 15.01.2014 एवं 28.10.2014, अनुसार विद्युत पारेषण लाईन के लिए ग्राम सभा में छूट प्रदान की गई है।

बिन्दु क्रमांक –29 जिले की कुल वन भुमि (रकबा हे.में) (प्रस्ताव पृष्ठ 177) – रायगढ़ जिले की रायगढ़ वन मंडल में सम्मिलित आरक्षित, संरक्षित एवं आसीमांकित वन का विवरण प्रस्ताव में संलग्न किया गया है। विवरण अनुसार वन मंडल में 152959.600 हे. वन भूमि है।

बिन्दु क्रमांक –30 व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणो में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे.में. (प्रस्ताव पृष्ठ 178 से 180) – वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत छत्तीसगढ राज्य में रायगढ़ जिले की रायगढ़ वन मंडल के अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों की संख्या 57 एवं प्रत्यावर्तित वन रकबा 3381.001 हे. है। प्रकरणवार स्वीकृत प्रकरणों का विवरण प्रस्ताव में संलग्न किया गया है ।

बिन्दु क्रमांक –31 व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणो में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे.मे (प्रस्ताव पृष्ठ 181) – रायगढ़ वन मंडल के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् इसी श्रेणी के 15 प्रकरण रकबा 254.131 हे. वन भूमि व्यपवर्तित हुआ है।

बिन्दु क्रमांक –32 प्रस्तावित क्षेत्र को 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 182) – प्रस्तावित प्रकरण विद्युत लाईन निर्माण के अर्न्तगत 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित नहीं है। प्रस्ताव में तदाशय का वन मंडलाधिकारी रायगढ़ का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।

बिन्दु क्रमांक –33 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेत प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (प्रस्ताव पृष्ठ 183) – प्रस्तावित परियोजना खनन प्रकरण नहीं होने से आवश्यक नहीं है।

बिन्दु क्रमांक –34 वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 184 से 187) – भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक F.No.-11-9/1998-FC-दिनांक 03–08–2009 एवं दिनांक 05–02–2013 के अनुक्रम में प्रस्तावित पारेषण लाईन हेतु कलेक्टर रायगढ़ का प्रमाण पत्र दिनांक 09.09.2020 (मूल प्रति) में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक –35 राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 188 से 195) – प्रस्तावित पारेषण लाईन में 7.399 हे. राजस्व वनभूमि भी प्रस्तावित है। अतः राजस्व वनभूमि हेतु कलेक्टर, जिला रायगढ़ का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 09.09.2020 की प्रति संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक –36 माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 196 एवं 197) – शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की दर जो भी वन विभाग तय करेगा वह राशि छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. संभाग बिलासपुर जमा करने हेतु वचनबद्ध है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक –37 Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance (प्रस्ताव पृष्ठ 198) – वन भूमि के व्यपवर्तन प्रस्ताव से संबंधित भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात जो भी राशि शर्त अनुसार निर्धारित की जाती है तो वह राशि **CAMPA** निधि में तत्काल जमा करने हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है। आवेदक संस्थान के द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न किया गया है ।

बिन्दु क्रमांक –38 "A detailed note on Soil Productivity or the lack of it" (प्रस्ताव पृष्ठ 199) – आवेदित वनभूमि में मिश्रित प्रजाति के 1319 वृक्ष खड़े है। इस क्षेत्र के मिट्टी चिकनी, दोमट एवं बलुई है जिसमें ह्यूमस लगभग सामान्य है तथा पानी को रोकने की शक्ति भी सामान्य है।

बिन्दु क्रमांक –39 परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 200) – आवेदित वन भूमि में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया है एवं वन विभाग के नियमानुसार स्वीकृति मिलने के पूर्व कोई भी कार्य नही किया जावेगा। इस आशय का आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक –40 Diversion of large area (more than 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 (प्रस्ताव पृष्ठ 201) – प्रस्तावित प्रकरण 500 हेक्टेयर से कम होने के कारण वोकेशनल ट्रेनिंग संस्थान की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क्रमांक –41 पंजीयन क्रमांक–पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 202 से 204) – आवेदक से पंजीयन शुल्क मूल्य 6000/– एवं प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) शुल्क मूल्य 18,000/– कुल मूल्य 24000/– की राशि वनमण्डलाधिकारी रायगढ़ वन मंडल के पी. डी. खाता में जमा किया गया है ।

बिन्दु क्रमांक –42 वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ 205) – प्रस्तावित परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत आवश्यक नहीं है– ऐसा प्रस्ताव में लेख किया गया है।

बिन्दु क्रमांक –43 विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 206) – प्रस्तावित प्रकरण में पारेषण लाईन हेतु एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने तथा पारेषण लाईन निर्माण हेतु तीन विकल्प मानचित्र में दर्शाया गया है तथा प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण दिया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र न्यूनतम होने के कारण चयनित की गई है।

बिन्दु क्रमांक –44 प्रस्ताव में अन्य कमियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 166) – प्रस्ताव में अन्य कमियां नहीं है। अतिरिक्त जानकारी के रूप में प्रस्तावित क्षेत्र एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. रिर्पोट संलग्न है।

प्रकरण का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रस्ताव तैयार की गई है। अतः मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर के अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग–4 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव 2 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–
1. प्रस्ताव 2 प्रतियों में मय डीजीपीएस रिपोर्ट
2. भाग–4
3. टाईम लाईन

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

(सुनील मिश्रा)
अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/ विद्युत/ 479–176/ 289
रायपुर, दिनांक 03/02/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः
1. **मुख्य वन संरक्षक**, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
2. **वनमण्डलाधिकारी**, रायगढ वन मण्डल, रायगढ़।
3. **कार्यपालन अभियंता**, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण लाईन कंपनी लिमि. बिलासपुर, छ.ग.।

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़